राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकःएफ13()मु.अनु.कोचिंग/मैरिट2025–26/सान्याअवि/25/08399/ जयपुर, दिनांक :यथा–ईहस्ताक्षरित

निदेशक/एमडी/अध्यक्ष/प्रभारी,
....,
....
....

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन करवाये जाने के सम्बंध में।

प्रसग : क्रमांकः एफ13 () मु.अनु.कोचिंग/मैरिट2025–26/सान्याअवि/25/08399/ ई–हस्ताक्षरित दिनांक : 02.01.26

उपरोक्त प्रासांगिक विषय में लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का विभागीय जिलाधिकारियों के जॉच/सत्यापन उपरान्त मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 की मुख्य मैरिट सूची दिनांक 02.01.2026 को जारी कर मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी इच्छानुसार सूचीबद्ध कोचिंग केन्द्र पर ज्वॉईन करवाये जाने की अंतिम तिथि 10.01.2026 निर्धारित की गई थी।

योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में से जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 10.01.2026 तक कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन नहीं किया गया था, उन अभ्यर्थियों के लिए पुनः दिनांक 24.01.2026 से दिनांक 10.02.2026 तक ज्वॉईन करवाये जाने हेतु विकल्प कोचिंग संस्थान की एसएसओ आईडी पर प्रदर्शित करवा दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में से जिन अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि 10.01.2026 तक ज्वॉईन नहीं किया गया था, **उन अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक से निर्धारित अंतिम तिथि 10.02.2026 तक ज्वाईनिंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।** साथ ही यह भी निर्देश है कि आपकी संस्थान को आवंटित की गई सीटों को आपके अधीन संचालित कोचिंग केन्द्रों में यथा संभव समुचित अनुपात में

Signature valid
Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.01.24 1?:15:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20125020

सीटे भरी जावें ताकि अभ्यर्थियों को उनके निकटतम स्थानों पर योजनान्तर्गत निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्राप्त हो सके और राज्य के अधिकाधिक जिलों तक योजना का कवरेज बढाया जाकर योजना को समावेशी बनाया जा सकें।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

क्रमांकःएफ13()मु.अनु.कोचिंग/मैरिट2025–26/सान्याअवि/25/08399/ जयपुर, दिनांक :यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को योजना के सभी हितधारकों के लिए सूचनार्थ विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .... को भेजकर लेख है कि आपके जिले की सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से सम्पर्क कर ऊपर अंकितानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

Signature valid

Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.01.24 1?:15:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20125020